प्रकरण संख्या 33/19 RCMS ID-2019/00265 ता0रजू 11.11.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

श्याम सुन्दर पुत्र मोहनलाल उम्र 59 साल जाति महाजन निवासी ग्राम दादनपुर तहसील टोड़ाभीम जिला करौली हाल निवासी ए–131, रणजीत नगर भरतपुर जिला भरतपुर (राज.) – प्रार्थी

बनाम

1. खेराम
2. धर्मसिंह } पिसरान सरवन
3. नत्थूसिंह
4. मु. रमेशी पुत्री सरवन
5. मु. धौला बेवा चौथी
6. शिवराम उर्फ हाबू
7. ज्ञानसिंह
8. मु. मोहरबाई } पुत्र–पुत्रियान चौथी
9. मु. कम्बो
10. मु. भूरी
11. रामनारायण दत्तक पुत्र काडू

} सभी जातियान मीना निवासीयान दादनपुर तहसील टोड़ाभीम

12. मु. लौहडो पत्नि टुण्डा जाति मीना निवासी खींचपुरी तहसील महवा जिला दौसा
13. मु. वाडा पत्नि बत्तू जाति मीना निवासी खींचपुरी तहसील महवा जिला दौसा
14. भौती बेवा नामालूम पुत्री काडू मीना निवासी दादनपुर तहसील टोड़ाभीम
15. मु. किशनबाई पत्नि भरोसी मीना निवासी चादौरा तहसील सिकराय जिला दौसा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील टोड़ाभीम
17. उप जिला कलेक्टर, टोड़ाभीम जिला करौली – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 235 आर.टी. एक्ट बाबत् स्थानांतरण किये जाने प्रकरण उनवानी श्यामसुन्दर बनाम सरवन (खैराम) वगै. मुकदमा नं. 38/02 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोड़ाभीम तारीख पेशी 13.11.2019

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

यह प्रार्थना पत्र मुंतकिली आर.टी. एक्ट 1955 की धारा 235 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम में विचाराधीन प्रकरण संख्या 38/02 दावा विचाराधीन है जिसे अप्रार्थीगण व पीठासीन अधिकारी के एक ही जाति के होने एवं रिश्तेदार होने के कारण न्याय की उम्मीद नहीं होने से अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 17 की टिप्पणी प्राप्त हुई जो शमिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थी का उक्त दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम में विचाराधीन है जिसमें विगत तारीख पेशी 13.11.2019 वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत थी। पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। प्रार्थी के गत तारीख पेशी दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित होने पर आगामी तारीख पेशी 13.11.2019 नियत की गई वहीं न्यायालय परिसर में ही गैरसायलान ने प्रार्थी से ऐलानिया कहा कि कितना भी लड़ लो, फैसला तो हमारे पक्ष में ही आवेगा, क्योंकि एस.डी.ओ. साहब रैणी जिला अलवर के रहने वाले हैं जो हमारे है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि अप्रार्थीगण की रैणी में रिश्तेदारी है जिन्हें रिश्तेदारी होने के कारण एस.डी.ओ. ने आश्वस्त कर रखा है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय होगा। इसलिए एस.डी.ओ. टोड़ाभीम प्रकरण का जल्द निस्तारण करने पर तत्पर हैं तथा टोड़ाभीम व रैणी मीना बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसलिए अप्रार्थीगण की ऐलानिया कही हुई बात इस बात की ताईद करती है कि अप्रार्थीगण की रिश्तेदारी होने के कारण पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थीगण आपस में मिले हुए हैं एवं प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। यहां तक कि अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से उक्त प्रकरण में अपना वकील भी नियुक्त नहीं किया है ना ही उपस्थित हुआ है और वकील नियुक्त करने की जरूरत नहीं है जिससे प्रार्थी के हक हकूकों पर भारी आधात है। उक्त दावा अचल सम्पत्ति से संबंधित है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम ने पत्र क्रमांक–राजस्व/2019/5979 दिनांक 10.12.2019 से अवगत करवाया है कि वे रैणी के निवासी नहीं होकर ग्राम दलालपुरा जिला अलवर के निवासी हैं। अप्रार्थीगण उनकी किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी से नहीं हैं ना ही कभी अप्रार्थीगण से सम्पर्क हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार से बात् हुई है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

बहस प्रार्थीगण एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। यद्यपि श्री दुर्गाप्रसाद मीना, उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम ना तो रैणी के रहने वाले हैं ना ही अप्रार्थीगण उनकी किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी में हैं, ना ही उनकी अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की बात हुई है, फिर भी प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिली, स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम में विचाराधीन दावा संख्या 38/02 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नादौती में अंतरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नादौती को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का अविलम्ब निस्तारण करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम को सूचनार्थ एवं उपखण्ड अधिकारी नादौती को मय पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: